जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-20.02.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झाल के गेट के सामने स्थित रोड़ी,डस्ट की दुकान से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 40 कट्टे सीमेन्ट व चोरी की घटना में प्रयुक्त आटो बरामदः-

ज्ञात हो वादी श्री अंकुर मलिक पुत्र हरेन्द्र मलिक निवासी ग्राम भिक्का माजरा थाना बाबरी जनपद शामली की रोडी,डस्ट की दुकान मेरठ करनाल रोड़ ग्राम झाल गेट के सामने स्थित है । दिनांक 19.02.25 को दुकान से सीमेन्ट के कट्टे व नगदी चोरी के सम्बन्ध में अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतावाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक शामली ने चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए चोरी करने वाले अभियुक्तगणों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया ।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झाल के गेट के सामने स्थित रोड़ी,डस्ट की दुकान से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 40 कट्टे सीमेन्ट व चोरी की घटना में प्रयुक्त आटो सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । इसके अतिरिक्त अभियुक्तगणों की निशादेही पर अलग अलग स्थान से ट्रार्सफार्मर ऑयल व उपकरण चोरी की घटना से सम्बन्धित उपकरण भी बरामद हुए है ।गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का उद्देश्य- अभियुक्तगण ने बताया कि हम ने कुछ दिन पहले ग्राम झाल गेट के पास एक सीमेन्ट की दुकान से सीमेन्ट के 40 भरे हुए कट्टे उस दुकान की छत की पत्थर की सिल्ली हटाकर चोरी किये थे जिन्हे हम अपनी गाडी UP 12 CT 8935 में लादकर चोरी कर ले गये थे । इसके अतिरिक्त अभियुक्तगणों द्वारा अलग अलग स्थान से ट्रार्सफार्मर ऑयल व उपकरण चोरी की घटना करना स्वीकार किया गया है । अभियुक्तगणों की निशादेही पर अलग अलग स्थान से ट्रार्सफार्मर ऑयल व उपकरण चोरी की घटना से सम्बन्धित उपकरण भी बरामद हुए है । अभियुक्तगण द्वारा अपने अर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपरोक्त घटना घटित की गई है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.रहीस पुत्र सद्दीक निवासी मौहल्ला पुलपार कस्बा व थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।

2.इसरार पुत्र फरजन्दा निवासी मौहल्ला सफीपुर पट्टी कस्बा व थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी का विवरणः-

1.-चोरी किये हुए 40 कट्टे अल्ट्राटेक सीमेन्ट मार्का ।

2.-चोरी की घटना में प्रयुक्त वाहन आटो रजि0 नं0 UP 12 CT 8935 ।

3.- 03 एसटीएलटी कोयल सम्बन्धित मु0अ0स0 60/25 धारा 136 विधुत अधिनियम ।

4.- 01 कोयल सम्बन्धित मु0अ0स0 59/2025 धारा 136 विधुत अधिनियम ।

5.- 92 ट्रासफार्मर के अन्दर की पत्ती व 02 पान्ने व चांबी सम्बन्धित मु0अ0स0 56/2025 धारा 136 विधुत अधिनियम ।

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झाल के जंगल में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 01 गौ-तस्कर के विरुद्द राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ।

दिनांक 27.07.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झाल के जंगल में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले की सूचना प्राप्त हुई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए 05 टीमों का गठन कर घटना का शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये थे ।

उक्त घटना को लेकर आमजनमानस में काफी रोष व्याप्त था । इनके इस कृत्य के कारण लोक-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना थी । उक्त घटना के अनावरण को लेकर प्रबुद्द वर्ग द्वारा जिला पुलिस/प्रशासन को ज्ञापन भी दिये गये थे ।

दिनांक 02.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम एवं गौतस्करों के विरुद्द कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली व एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झाल के जंगल में हुई गौकशी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त गौ-तस्कर सरगना इरशाद उर्फ भूरा पुत्र मुन्तियाज निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली को उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

ज्ञात हो कि उपरोक्त मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.09.2024 को घटना में संलिप्त गौ-तस्कर सरगना इरशाद उर्फ भूरा व दिनांक 25.09.2024 को गौ-तस्कर 1.आसिफ उर्फ सोनू पुत्र रहीस निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली 2.सौरभ पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्द कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्द किया जा चुका है ।

इसी क्रम में दिनांक 19.02.2025 को उपरोक्त मामले में गौ-तस्कर महबूब पुत्र युनूस निवासी मौहल्ला सद्दीकनगर भूमिया पूल राधना वाली गली थाना लिसाढी गेट मेरठ के विरुद्द प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्द किया गया है ।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 13.11.24 को थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गयी थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

दिनांक 19.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.विक्की पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम शामली शामला थाना झिंझाना जनपद शामली ।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 02 चाकू बरामदः-

आज दिनांक 20.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.मनव्वर पुत्र नकीम निवासी ग्राम गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामली ।

2.हनीफ पुत्र मिल्ला निवासी मौहल्ला आर्यपुरी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 02 चाकू ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1.- वर्ष 2009 में अभियुक्त सोनू पुत्र महाबीर निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 695/2009 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 20.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

2.- वर्ष 2009 में अभियुक्त काला पुत्र जयपाल निवासी दरगाहपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 644/2009 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 20.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।